31-7-19

~~अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट/उत्तरवादी समय चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक .... को पेश हो~~

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक
21.5.2011 को वादी की साक्ष्य बन्द होने
के उपरान्त पुन: शुरु करने तथा प्रतिवादी
के विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को
निरस्त करने के आदेश दिये गये। उक्त
आदेश की निगरानी प्रस्तुत होने पर राजस्व
मंडल ने दिनांक 20.7.2011 को नये सिरे से
स्पष्ट आदेश जारी करने के निर्देश दिये।
मण्डल के उक्त आदेश की पालना में उपखण्ड
अधिकारी, कोलायत द्वारा अपीलाधीन आदेश
पारित किया गया। अपीलांट को अपीलाधीन
आदेश में प्रतिवादी/रेस्पो० को रिकार्ड टीनेंट
के रूप में उल्लेख करने पर आपत्ति है। अपीलांट
की यह आपत्ति संधारणीय नहीं है, क्योंकि परीक्षण
न्यायालय ने यह उल्लेख उपलब्ध राजस्व
रिकार्ड के आधार पर ही किया है। परीक्षण
न्यायालय ने स्वयं वादी द्वारा वाद की सुनवाई
में विलम्ब करने की प्रवृति पर नाराजगी
जाहिर करते हुये प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध
की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किया है।
वादी जिसने अनुतोष मांगा है तथा वाद की
कार्यवाही को आगे बढाने के लिये जिम्मेवार
है, द्वारा ही जानबूझकर सुनवाई लंबित
रखने का प्रयास करना उचित नहीं है।
हम परीक्षण न्यायालय द्वारा दरख्वास्त के
विवेचन तथा निर्णय में कोई त्रुटि नहीं
पाते है। अत: अपीलांट की अपील
सारहीन पाये जाने पर खारिज की
जाती है।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कोलायत
को भेजी जावे तथा पक्षकार दिनांक 21.8.19
को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हो।

Scanned by CamScanner